क्या जानवरों को कैद में रखना गुलामी है?

डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन

पहले तो बहस यह थी कि क्या मानव भ्रूण को एक मनुष्य माना जा सकता है। 2008 में यूएस का कोलोरेडो प्रांत एक कानून पारित करना चाहता था कि अजन्मे मानव भ्रूण को व्यक्ति माना जाए और उसे व्यक्ति के समान अधिकार दिए जाएं। मिसिसिप्पी राज्य एक कदम आगे बढ़ा और कहा कि व्यक्ति शब्द को निषेचन के क्षण से भ्रूण पर लागू किया जाना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति इस जीवन का गर्भपात करता है तो वह सज़ा का पात्र होगा। ये कानून बनाने का उद्देश्य यूएस सुप्रीम कोर्ट के सन 1973 के गर्भपात के अधिकार सम्बंधी निर्णय को पलटना था। मिसिसिप्पी और कोलोरेडो दोनों विधान सभाओं में ये कानून पारित नहीं हो पाए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जॉर्जिया प्रांत में पिछले महीने प्रस्तुत किए गए 'पर्सनहुड विधेयक' में एक-कोशिकीय मानव भ्रूण (यहां तक कि आरोपण से पहले) को भी एक व्यक्ति मानने और उसे जीवन का अधिकार देने की बात कही गई है।

अब, यह मुद्दा हम मनुष्यों से परे जा चुका है। *साइंस* जर्नल ने 6 दिसम्बर 2013 के अंक में रिपोर्ट किया है कि बोस्टन के वकील, नॉन-ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट के संस्थापक स्टीवन वाइस ने न्यूयॉर्क अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। वे चाहते हैं कि कोर्ट घोषणा करे कि चिम्पैंज़ी और दूसरे ऐप्स (वनमानुष) व्यक्ति हैं। इसलिए प्रयोगशालाओं, चिड़ियाघरों या व्यक्तिगत फार्मों में कैद ऐसे सभी जानवरों को आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि केवल चिम्पैंज़ी ही नहीं बल्कि डॉल्फिनों में भी संज्ञान क्षमता होती है। वाइस ने इस खोज को अपने तर्क का आधार बनाया है कि ऐप्स और डॉल्फिन्स में आत्म-चेतना होती है। लिहाज़ा, इन जानवरों को कैद में रखना गुलामी के समान है और यह गैरकानूनी है। वे चाहते हैं कि इन जानवरों को कैद से रिहा करके फ्लोरिडा स्थित चिपैंज़ी अभयारण्य में भेज दिया जाए।

जानवरों के साथ काम करना ज्ञान निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक समुदाय इस तर्क से हैरान है और बहुत ज़ोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि वे जानवरों के प्रति बहुत चिंतित हैं और उनकी मदद और आराम के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उनके साथ नीतिसम्मत आचरण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मगर पशु कल्याण से आगे जाकर इन जानवरों को व्यक्ति समान अधिकार देंगे तो अनुसंधान की हानि होगी। स्टोनीब्रुक की शरीर-रचना शास्त्री सुसन लार्सन का कहना है कि इन जानवरों पर जो कुछ भी मैंने किया है वह अपने ऊपर भी किया है। मैं जानती हूं कि जंतु-अधिकार कार्यकर्ता इनके साथ बदसलूकी नहीं होने देना चाहते।

लेकिन वे जिस तरह अड़ंगे लगा रहे हैं उसके चलते हम इनका अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे और उससे पहले ही ये विलुप्त हो जाएंगे। फिशर सेंटर फॉर स्टडी एंड कंज़र्वेशन ऑफ ऐप्स के डॉ. स्टीफन रोज़ का कहना है कि मुझे लगता है कि जानवरों को आरामदायक जीवन जीने और सार्थक वातावरण में रहने के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें व्यक्ति मानना ज़रूरी नहीं है। हम चिम्पैंज़ियों के लिए स्थितियां बेहतर बनाना चाहते हैं। अंतर सिर्फ इसे करने के तरीके में है।

हमें इंतज़ार करना होगा कि कोर्ट व्यक्ति और संज्ञान की परिभाषा पर क्या कहता है। विकिपीडिया में संज्ञान का मतलब सीखना, याददाश्त, तर्क, समस्याएं हल करने और निर्णय लेने के रूप में परिभाषित किया गया है। दर्शनशास्त्री और तर्कवादी काफी समय से व्यक्ति की परिभाषा पर विचार करते रहे हैं। मेरे ख्याल से इस संदर्भ में सबसे बढ़िया विचार आजकल के दार्शनिक प्रोफेसर थॉमस व्हाइट का है। वे मानते हैं कि व्यक्ति होने के लिए निम्नलिखित गुण अनिवार्य हैं: जीवित हो, सचेतन हो, सकारात्मक-नकारात्मक संवेदना महसूस करे, भावनाएं हों, आत्म-चेतना हो, अपने व्यवहार पर काबू कर सके, अन्य व्यक्तियों को पहचाने, और संज्ञान क्षमता हो।

व्यक्ति कहलाने के लिए आवश्यक उपरोक्त गुणों के लिहाज़ से चिम्पैंज़ी सबसे करीब हैं और कुछ हद तक डॉल्फिन भी इस सीमा में आते हैं। न्यूयॉर्क अदालत ने चिम्पैंज़ी पर वाइस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है लेकिन वाइस अपील करेंगे। अलबत्ता, बड़ा सवाल अभी भी खुला है। विज्ञान की प्रगति के चलते हमें यह पता चलता रहेगा कि कई (सभी नहीं) जानवरों में व्यक्ति होने के गुण हैं तो हम पर आरोप लग सकते हैं कि हम जानवरों को गुलाम बनाकर उन पर प्रयोग कर रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉ. एलेक्ज़ेंडर हार्विट्ज़ कुत्तों की संज्ञान प्रयोगशाला चलाते हैं और हाल ही में उन्होंने बताया है कि घरेलू कुत्तों में गैर-बराबरी को समझने और उसका विरोध करने की कुछ क्षमता होती है। लेकिन यदि कुत्ते के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए और साथ ही उसे ज़्यादा पारितोषिक मिले तो वह इसे अधिक पसंद करता है। गायों के पास भी संज्ञान क्षमता होती है हालांकि शायद यह आस-पड़ोस को जानने तक सीमित हो।

विज्ञान शायद यह बताए कि मटर के दाने के बराबर मस्तिष्क भी संज्ञान के कुछ पहलुओं के लिए पर्याप्त है। तब क्या हम आत्म-चेतना को व्यक्ति मानने की कसौटी को छोड़कर संज्ञान (खुशी या दर्द महसूस करना) को जंतु-अधिकार का मापदंड मानेंगे और उन्हें गुलाम घोषित कर देंगे? बहरहाल बात शायद यहां तक न पहुंचे क्योंकि जैसा कि ओरवेल ने कहा है, कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर हैं।

तो व्यक्ति होने या न होने की हद कहां खींचें? क्या हम व्हाइट द्वारा प्रस्तुत मापदंडों को एक-एक करके छोड़ते जाएंगे? तब क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम शाकाहार की ओर मुड़ें और पेड़-पौधों पर निर्भर रहें।

और आशा करें कि कोई भी जे. सी. बोस की बात को पुनर्जीवित नहीं करेगा कि पौधों में भी संज्ञान क्षमता होती है। यदि ऐसा हुआ तो हम सब - मनुष्य और चिंपैंज़ी और डॉल्फिन - कहीं के नहीं रहेंगे। ***(स्रोत फीचर्स)***

वर्ग पहेली 112 का हल

अ	हीं	नि	य	स		सं	के	त
वि		य		न	ट			ड़ि
भा	नु	म	ति		क	स	र	त
ज्य		गि		ना	सा		ब	
	ज	री	ब		ल	की	र	
	टा		घ	न		मि		ब
वा	यु	या	न		या	या	व	र
ले			खा	का		ग		ग
स	जी	व		श	क	र	कं	द